न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 71/2020

प्रार्थीगण

1. खीयाराम वल्द भभूता
2. मोहनलाल वल्द भभूता
3. गुली बेवा भभूता
   जाति विश्नोई निवासी पनावली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. हापूराम पुत्र आदूराम
   जाति विश्नोई निवासी बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री रामजीवन विप्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :–11–01–2020

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम के तहत सरहद मौजा पनावली के खेत खसरा नम्बर 62/2 रकबा 128–04 बीघा एवं मौजा बेरीगांव खसरा नम्बर 216/1 रकबा 22–04 बीघा, 217/1 रकबा 13–01 बीघा का नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता रामजीवन विश्नोई उपस्थित हुए तथा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण की भूमि मौजा बेरीगांव के खेत खसरा नम्बर 216/2 रकबा 8–08 बीघा व खसरा नम्बर 217/2 रकबा 36–14 बीघा की पैमाईश प्रार्थीगण की भूमि के साथ–साथ सम्पादित किये जाने का निवेदन किया।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073–2076 सरहद मौजा पनावली के खेत खसरा नम्बर 62/2 रकबा 128–04 बीघा एवं मौजा बेरीगांव खसरा नम्बर 216/1 रकबा 22–04 बीघा, 217/1 रकबा 13–01 बीघा एवं मौजा बेरीगांव के खेत खसरा नम्बर 216/2 रकबा 8–08 बीघा व खसरा नम्बर 217/2 रकबा 36–14 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.02.04 16:28:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Scanned with CamScanner

दर्ज है। प्रार्थीगण विप्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

चूंकि प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विप्रार्थी का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर विप्रार्थी की भूमि की पैमाईश कर नेखम स्थापित किये जाने हेतु सहमति दी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय विप्रार्थी के काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा पनावली के खेत खसरा नम्बर 62/2 रकबा 128–04 बीघा एवं मौजा बेरीगांव खसरा नम्बर 216/1 रकबा 22–04 बीघा, 217/1 रकबा 13–01 बीघा एवं मौजा बेरीगांव के खेत खसरा नम्बर 216/2 रकबा 8–08 बीघा व खसरा नम्बर 217/2 रकबा 36–14 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 दौनों मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.02.04 16:28:40 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 11.1.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Scanned with CamScanner